राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 11(8)/ग्रावि./नरेगा/पद सृजन/2010 पार्ट–I/00544 जयपुर दिनांक 02 MAY 2018

कार्यालय आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.04.2017 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा सभी जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में संविदा/प्रतिनियुक्ति पर सृजित पदों पर कार्यरत प्रतिनियुक्त एवं संविदा कार्मिकों की समयावधि निरन्तर जारी रखते हुये दिनांक 28.02.2018 तक बढायी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केवल कार्यरत प्रतिनियुक्ति/संविदा पदों की समयावधि दिनांक 28.02.2019 तक बढाये जाने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि :–

1. विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमत 6 प्रतिशत की सीमा में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय मद में अनुमत सीमा से अधिक व्यय होने पर राज्य मद से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
2. वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 की पालना सुनिश्चित की जावे।

कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के संविदा रिक्त पदों पर चूंकि भर्ती की कार्यवाही जारी है। अतः इन संविदा पदों की अवधि भी वर्ष 2018–2019 के लिए दिनांक 28.02.2019 तक बढाये जाने की सहमति उपर्युक्त शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 101801603 दिनांक 30.04.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के 28.02.2018 तक की अवधि के कार्यों का मूल्यांकन करने के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्ण संतुष्टि होने पर ही इनकी अनुबन्ध अवधि 28.02.2019 तक बढाई जाने की कार्यवाही की जावे।

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग।
6. निदेशक सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग –1) विभाग, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
10. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस।
11. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, जयपुर।
12. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
13. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
14. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, बाडमेर।
15. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 11(8)/ग्रावि./नरेगा/पद सृजन/2010 पार्ट–I/00544 जयपुर दिनांक 2 MAY 2018

कार्यालय आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.04.2017 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अधीन निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर सृजित पदों में से कार्यरत प्रतिनियुक्ति/संविदा कार्मिकों की समयावधि दिनांक 28.02.2018 तक बढायी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केवल कार्यरत प्रतिनियुक्ति/संविदा पदों की समयावधि दिनांक 28.02.2019 तक बढाये जाने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि :–

1. विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमत 6 प्रतिशत की सीमा में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय मद में अनुमत सीमा से अधिक व्यय होने पर राज्य मद से कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
2. वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 की पालना सुनिश्चित की जावे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 101801603 दिनांक 30.04.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के 28.02.2018 तक की अवधि के कार्यों का मूल्यांकन करने के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्ण संतुष्टि होने पर ही इनकी अनुबन्ध अवधि 28.02.2019 तक बढाई जाने की कार्यवाही की जावे।

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग।
6. निदेशक सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग –1) विभाग, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
10. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस।
11. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, जयपुर।
12. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
13. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
14. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, बाडमेर।
15. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 11(8)/ग्रावि./नरेगा/पद सृजन/2010 पार्ट–I/63124 जयपुर दिनांक 2 MAY 2018

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर गठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अधीन महात्मा गांधी नरेगा योजना में नव सृजित पंचायत समिति में 2 प्रति पंचायत समिति के हिसाब से 92 सहायक अभियन्ता (प्रतिनियुक्ति) के अतिरिक्त पद सृजित किये जाते है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 101801603 दिनांक 30.04.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। इन पदों पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमत प्रशासनिक एवं प्रबंधन व्यय की राशि से पूरित किया जायेगा।

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग।
6. निदेशक सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग –1) विभाग, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
10. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस।
11. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, जयपुर।
12. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
13. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
14. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, बाडमेर।
15. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 11(8)/ग्रावि./नरेगा/पद सृजन/2010 पार्ट–I/63124 जयपुर दिनांक 2 MAY 2018

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर गठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अधीन महात्मा गांधी नरेगा योजना में राज्य स्तर पर एनालिस्ट कम प्रोग्रामर का संविदा आधार पर एक नया पद सृजित किया जाता है, जिसका पारिश्रमिक रूपये 25000/– प्रतिमाह निर्धारित किया जाता है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 101801603 दिनांक 30.04.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। इन पदों पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमत प्रशासनिक एवं प्रबंधन व्यय की राशि से पूरित किया जायेगा।

(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग।
6. निदेशक सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग –1) विभाग, जयपुर।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
10. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस।
11. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, जयपुर।
12. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
13. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
14. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, बाडमेर।
15. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

Scanned by CamScanner